राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2043/2025

पूजा सूत्रकार

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, सीकर।
4. जयप्रकाश, पटवारी, पटवार मण्डल, रहनावा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, बलारा, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पटवार मण्डल रहनावा, तहसील लक्ष्मणगढ में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन कार्मिक है। अपीलार्थी को नियमित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। इस कारण से राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने आदेश दिनांक 10.05.2023 के द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, वे परिवीक्षाकाल में रहेगें। उनका स्थायीकरण माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण परिवीक्षाकाल की अवधि के दौरान किया गया है, जो

उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान लैण्ड रेवन्यू नियम, 1957 के नियम–9(2) में यह प्रावधान है कि जब तक सम्बन्धित अधिकारी को इस बात की तसल्ली नहीं हो कि स्थानान्तरण, कार्य की बढोतरी या कुशलता हेतु अथवा किसी पटवारी के लम्बे अवकाश, इस्तीफे, बर्खास्तगी, निलम्बन अथवा तबादले से रिक्त होने वाले स्थान की पूर्ति हेतु अनिवार्य है, तब तक पटवारियों के तबादले नहीं किये जाएंगे। उनक आगे कथन है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड नियम, 1957 के नियम 412 में यह प्रावधान है कि पटवारियों के तबादले सामान्यतया अवांछनिय है एवं किसी भी कारण से किन्हीं व्यक्तियों की सुविधा के लिये नहीं किये जाने चाहिए, अनावश्यक तबादलों को बचाने के लिये तबादले के लिये छांटे गये पटवारी यथासंभव एक दूसरे के लिये बदल लिये जाने चाहिए। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन है। ऐसे में अपीलार्थी के सम्बन्ध में उक्त नियम–9(2) एवं नियम 412 की पालना नहीं की गयी है और न ही ऐसी पालना किया जाना संभव है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि जहां तक नियमों के तहत पटवारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3224/2024 भंवर लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 01.03.2024 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है।:–

> *"4. So far as the ground of the satisfaction of the officer passing the order is concerned, a Division Bench of this Court in the case of Gopalram vs State of Rajasthan and Anr.; D.B. Spl. Appl. Writ No.53/2020 (decided on 28.01.2020) has held as under:*
>
> *"12. Coming to the contention of the appellant that the transfer order issued by the District Collector is violative of provisions of Rule 9 (II) and Rule 412, a conjoint reading of Rule 9 and Rule 412 indicates that a Patwari should not be ordinarily transferred, but then, he can always be transferred when considered necessary in the interest of efficiency of work or to fill up vacancy created by long leave, resignation, dismissal, suspension or transfer of the Patwari. Suffice it to say that besides for administrative exigency, a Patwari can be transferred even to fill up the vacant post created on account of various contingencies enumerated. Thus, on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of Patwaris are transferred within the District, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the*

satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work, is violative of provisions of Rule 9 (ii) and Rule 412 of the Rules of 1957. As a matter of fact, the order impugned by itself reflects that the transfers have been effected for administrative exigency to fill up the vacant posts."

5. In the opinion of this Court, the satisfaction in terms of Rule 9(2) is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications as to in what terms and manner, the officer has satisfied himself. The term 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work."

5. माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4589/2024 प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 में संतुष्टी के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

6. This Court is of the clear opinion that the order impugned. passed in the interest of the State for administrative reasons, can definitely be termed to be a satisfaction of the officer concerned. As held by this Court in the case of Bhanwar Lal Jaat vs. State of Rajasthan & Anr.; S.B. Civil Writ Petition No.3224/2024 (decided on 01.03.2024), satisfaction in terms of Rule 9(ii) of the Rules of 1957 is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications qua every employee, as to on what terms and in what manner the officer has satisfied himself. The terms 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work.

This Court also finds support from the Division Bench judgment in the case of Gopalram (supra) wherein it was specifically observed that on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of patwaries are transferred within the district, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work is violative of provisions of Rule 9(ii) of the Rules of 1957."

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किए गए स्थानांतरण में संतुष्टी अंतर्निहित है। वर्तमान में अपीलार्थी का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टी के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है। जहां तक राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.05.2023 का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि वह केवल नियुक्ति व स्थायीकरण के सम्बन्ध में जारी किया गया है। उसका प्रभाव स्थानान्तरण पर नहीं पडता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस

स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)